

## मानवाधिकार शिक्षा का भारतीय मॉडल और विदेशी मॉडल : एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. प्रतिभा शर्मा\* प्रीति जोशी\*\*

\* सहायक आचार्य, श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत  
\*\* शोधार्थी, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ वि.वि., उदयपुर (राज.) भारत

**शोध सारांश** - मानवाधिकार शिक्षा आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों में मानव गरिमा, समानता, न्याय तथा स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य मानवाधिकार शिक्षा के भारतीय मॉडल तथा विभिन्न विदेशी मॉडलों का अध्ययन करना और उनके मध्य तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

भारत में मानवाधिकार शिक्षा का आधार मुख्यतः संविधान, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों तथा विभिन्न संस्थागत प्रयासों पर आधारित है। वहीं विदेशी देशों में मानवाधिकार शिक्षा को विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर व्यवस्थित रूप से लागू किया गया है तथा इसे गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय मॉडल में संवैधानिक मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं पर अधिक बल दिया गया है, जबकि विदेशी मॉडलों में लोकतांत्रिक सहभागिता, अनुभवात्मक शिक्षण और वैश्विक नागरिकता की अवधारणा को अधिक महत्व दिया जाता है।

अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि मानवाधिकार शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय मॉडल में अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को सम्मिलित करना आवश्यक है।

**प्रस्तावना** - मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के आधार पर प्राप्त मूलभूत अधिकार हैं। ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता तथा समानता की रक्षा करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में मानवाधिकार शिक्षा का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है क्योंकि यह समाज में शांति, सहिष्णुता तथा न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। इसी कारण विश्व के विभिन्न देशों ने अपनी शिक्षा प्रणाली में मानवाधिकार शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

भारत में मानवाधिकार शिक्षा का विकास संविधान, शिक्षा नीतियों तथा विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं की पहल के माध्यम से हुआ है। दूसरी ओर अनेक विदेशी देशों में मानवाधिकार शिक्षा को विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है।

इस अध्ययन में भारतीय तथा विदेशी मानवाधिकार शिक्षा मॉडलों का विश्लेषण करते हुए उनके मध्य समानताओं और भिन्नताओं को स्पष्ट किया गया है।

**मानवाधिकार शिक्षा का ऐतिहासिक विकास** - मानवाधिकार शिक्षा का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से हुआ। युद्ध के दौरान हुए अत्याचारों ने विश्व समुदाय को यह सोचने पर विवश कर दिया कि मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद शिक्षा को मानवाधिकारों के प्रचार का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया। इसके बाद विभिन्न

अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किए।

भारत में भी स्वतंत्रता के बाद संविधान के माध्यम से मानवाधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और धीरे-धीरे शिक्षा प्रणाली में इन मूल्यों को शामिल किया गया।

**मानवाधिकार शिक्षा की अवधारणा और उद्देश्य** - मानवाधिकार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तियों को मानवाधिकारों के सिद्धांतों, मूल्यों तथा उनके संरक्षण के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। मानवाधिकार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. मानव गरिमा के प्रति सम्मान विकसित करना
2. समानता और न्याय की भावना को प्रोत्साहित करना
3. लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना
4. सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना
5. मानवाधिकार उल्लंघन के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करना
5. मानवाधिकार शिक्षा का भारतीय मॉडल

भारत में मानवाधिकार शिक्षा का आधार मुख्यतः संविधान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं की पहल पर आधारित है।

**(क) संवैधानिक आधार** - भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के माध्यम से मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

**(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति** - राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकारों को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है।

**(ग) संस्थागत पहल** – भारत में निम्न संस्थाएँ मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देती हैं :

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
  - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
  - राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
- ये संस्थाएँ प्रशिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यक्रम विकास तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती हैं।

**मानवाधिकार शिक्षा के विदेशी मॉडल** – विश्व के कई देशों ने मानवाधिकार शिक्षा को अपनी शिक्षा प्रणाली में प्रभावी रूप से लागू किया है।

**(क) संयुक्त राष्ट्र मॉडल** – संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व स्तर पर मानवाधिकार शिक्षा कार्यक्रम चलाए हैं।

**(ख) यूरोपीय मॉडल** – यूरोप के देशों में मानवाधिकार शिक्षा को विद्यालय स्तर से ही पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और इसे गतिविधि आधारित तरीके से पढ़ाया जाता है।

**(ग) अमेरिकी मॉडल** – संयुक्त राज्य अमेरिका में मानवाधिकार शिक्षा नागरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है।

**(घ) फिनलैंड मॉडल** – फिनलैंड में मानवाधिकार शिक्षा को समग्र शिक्षा प्रणाली में एकीकृत किया गया है।

**(ङ) जापान मॉडल** – जापान में नैतिक शिक्षा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से मानवाधिकार मूल्यों को विकसित किया जाता है।

**मानवाधिकार शिक्षा की शिक्षण पद्धतियाँ** – मानवाधिकार शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग किया जाता है:

- गतिविधि आधारित शिक्षण
1. समूह चर्चा
  2. परियोजना कार्य
  3. केस अध्ययन
  4. भूमिका निर्वाह
- इन पद्धतियों के माध्यम से विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जाती है।

**भारतीय और विदेशी मॉडलों का तुलनात्मक अध्ययन:**

1. आधार
2. भारतीय मॉडल
3. विदेशी मॉडल
4. आधार
5. संविधान और राष्ट्रीय नीतियाँ
6. अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम
7. दृष्टिकोण

8. सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्य

9. वैश्विक नागरिकता

10. शिक्षण पद्धति

11. सैद्धांतिक

12. गतिविधि आधारित

13. संस्थागत भूमिका

14. राष्ट्रीय आयोग

15. अंतरराष्ट्रीय संगठन

16. उद्देश्य

17. सामाजिक न्याय

18. वैश्विक मानवाधिकार चेतना

**मानवाधिकार शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ** – मानवाधिकार शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं :

1. पाठ्यक्रम में सीमित स्थान
2. प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी
3. जागरूकता की कमी
4. संसाधनों का अभाव
5. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं की कमी

**निष्कर्ष** – अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मानवाधिकार शिक्षा सामाजिक विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भारतीय मॉडल में संवैधानिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक परंपराओं को विशेष महत्व दिया गया है, जबकि विदेशी मॉडलों में व्यावहारिक शिक्षण पद्धतियों और वैश्विक दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया जाता है।

यदि दोनों मॉडलों की विशेषताओं को एकीकृत किया जाए तो मानवाधिकार शिक्षा अधिक प्रभावी बन सकती है।

**सुझाव** – मानवाधिकार शिक्षा को विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य बनाया जाए।

1. शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।
2. पाठ्यक्रम में गतिविधि आधारित शिक्षण को शामिल किया जाए।
3. जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
4. अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. National Human Rights Commission (2017)
2. UNESCO (2015) Human Rights Education Framework
3. United Nations (2011) World Programme for Human Rights Education
4. Government of India (2020) National Education Policy
5. Sharma, R. (2016) Human Rights Education in India
6. Singh, A. (2018) Comparative Study of Human Rights Education
7. UNICEF (2019) Human Rights Education and Schools

\*\*\*\*\*